

कार्यालय राजकीय पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, विशाला (दोसा)

क्रमांक-राउभावि/विशाला/611/2022-23, दिनांक- 30-10-2022

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/ मा.द. /अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66170/2022-23/144 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाया जाना है।

अतः स्थानीय विद्यालय में उक्त योजना के तहत निम्नांकित रिक्त पदों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं जिनका विवरण एवं शर्तें निम्न प्रकार से है।

1. रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पद	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	व्याख्याता	भूगोल	01
2	वरिष्ठ अध्यापक		
3	अध्यापक लेवल-2	अंग्रेजी, सामा.वि.	अंग्रेजी (02) SST-01 = 03
4	अध्यापक लेवल-1	-	02
5	प्रयोगशाला शिक्षक	-	
6	शारीरिक शिक्षक	-	01
7			
8			
9			
10			

2. पद एवं योग्यताएँ -

Name of Post	Qualification
व्याख्याता (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम - 2022 पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
वरिष्ठ शिक्षक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम - 2022 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
शिक्षक स्तर -2 (विभिन्न विषय)	राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार शिक्षक स्तर -1 राजस्थान पंचायत राज नियम-1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
प्रयोगशाला सहायक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम - 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
शारीरिक शिक्षक	शारीरिक शिक्षा अध्यापक राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम - 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोट :-

- गेस्ट फैंकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधान के अनुसार होगी।
- विद्या संबल योजना के तहत गैस्ट फैंकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त / निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे।

3. सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उन्होंने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो लेकिन अध्यापक लेवल 1 व अध्यापक लेवल 2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
4. सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी।

3. योजना के अंतर्गत मानदेय -

पद	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
अध्यापक लेवल 1 एंड 2	पहली से आठवीं कक्षा	₹300	₹21000
वरिष्ठ अध्यापक	नवी से दसवीं कक्षा	₹350	₹25000
प्राध्यापक	11वीं और 12वीं कक्षा	₹400	₹30000
शारीरिक शिक्षा	-	₹300	₹21000
सहायक	-	₹300	₹21000

4. कार्यक्रम एवं समय सारणी

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	01.11.2022 तक	विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण
2	02.11.2022 से 04.11.2022 तक (विद्यालय स्तर में)	आवेदन करने की तिथि
3	05.11.2022	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना
4	07.11.2022	1 पात्रता की जाँच करना 2 वरीयता सूची (अस्थायी) का प्रकाशन करना।
5	09.11.2022	आपत्तियाँ प्राप्त करना
6	10.11.2022	अंतिम वरीयता सूची (स्थायी) प्रकाशित करना
7	11.11.2022	मूल दस्तावेजों का सम्यापन करना
8	12.11.2022	आदेश जारी करना
9	19.11.2022	कार्यग्रहण की अंतिम तिथि

5. आवेदन प्रक्रिया -

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त / निजी अभ्यर्थी, जो उय पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्ति: उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

6. वरीयता का निर्धारण -

“विद्या संबल योजना” के तहत गेस्ट फेकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की जाँच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संगंधित

प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा।

समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फेकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।


7. अन्य शर्तें -

- (1) चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फेकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक एवं समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
- (2) निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अगले क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- (3) गेस्ट फेकल्टी के रूप में संत्रान्त अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
- (4) गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने वाले निजी अभ्यर्थियों /सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
- (5) गेस्ट फेकल्टी के कार्यों का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। कार्यकुशलता में कमी, दुराचरण, अनियमितता, या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फेकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

नोट -

(क) सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र मय दस्तावेजों के साथ दिनांक 02.11.2022 से 04.11.2022 तक विद्यालय समय में कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

(ख) सभी अभ्यर्थी श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा -मा /मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022-23/149 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार पदों की योग्यताओं, नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः अध्ययन करके ही आवेदन करें।


प्रधानाचार्य
राजस्थान उच्च माध्यमिक शिक्षा विशाला
महया दौसा (राज.)

कार्यालय – पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी विशाला (नौरंगवाडा) दौसा

रिक्त पदों का विवरण

कं.सं.	विद्यालय का नाम	पद का नाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	रा.उ.मा.वि.विशाला	व्याख्याता	भूगोल	1
2	रा.उ.मा.वि.विशाला	अध्यापक लेवल 2	अंग्रेजी	1
3	रा.उ.प्रा.वि. पीपलीपाडा	अध्यापक लेवल 2	अंग्रेजी	1
4	रा.उ.प्रा.वि. पीपलीपाडा	अध्यापक लेवल 1	—	1
5	रा.उ.प्रा.वि. पीपलीपाडा	शा.शि.	—	1
6	रा.उ.प्रा.वि. मूडफोडी	अध्यापक लेवल 1	—	1
7	रा.प्रा.वि. बैरवा बास	अध्यापक लेवल 1	—	1

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नाम:-
2. पिता का नाम:-
3. आवेदित विद्यालय का नाम:-
4. आवेदित पद का नाम:-
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:-
6. जन्म तिथि:-
7. शैक्षणिक योग्यता:-
 1. माध्यमिक वर्ष— प्रतिशत— संलग्न-1
 2. उच्च माध्यमिक वर्ष— प्रतिशत— संलग्न-2
 3. स्नातक वर्ष— प्रतिशत— संलग्न-3
 4. अधिस्नातक वर्ष— प्रतिशत— संलग्न-4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता
 1. बी.एड./समकक्ष वर्ष— प्रतिशत— संलग्न-5
 2. डी.एल.एड./समकक्ष वर्ष— प्रतिशत— संलग्न-6
6. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार) रीट,उत्तीर्णता वर्ष— प्रतिशत— संलग्न-7
7. निवास का पता:-
 1. स्थाई—

 - 2.वर्तमान—

8. मोबाईल नम्बर: _____
9. जाति वर्ग— _____ प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न-8
10. अन्य (विकलांग/भूपू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्ट्स पर्सन) संलग्न-9
11. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न-10
12. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त) संलग्न-11 व 12

आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची—संलग्नक 1 से 12 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ) व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

17

प्राकल्प

सपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को
गैस्ट फॅकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....
के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन-
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,
जाति, विकलांगता, भूपू.सं. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे
गैस्ट फॅकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिस आवेदन पत्रों के उपरोक्त स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य में भविष्यती अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैरस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह बयान दे समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्पष्टी तथा एक सेक्टर या एक सेलन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैरस्ट फेकल्टी के रूप में नहीं चुना जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों को पूर्ण पालन करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वाभिव्यक्ति या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निगम अथवा विभाग द्वारा बदचक्र नहीं किया गया है तथा नैतिक अथवा अन्य किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनिश्चितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दस्ता में संस्थान या संश्लम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैरस्ट फेकल्टी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उत्तरदायन करने पर नियमानुसार दम्भीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

प्रमाण

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी-आवृत्ति में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भविष्यती पक्ष तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता